सराहनीय कार्य दिनाँकः- 20.09.2021 थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर

थाना ढेबरुआ व SSB की सयुक्त टीम द्वारा दो नफर अभियुक्तों को 81.6 ग्राम अवैध मार्फिन के साथ गिरफ्तार किया गया।

डा0 यशवीर सिह, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री सुरेश चंद रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में व श्री राणा महेंद्र प्रताप यादव, क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ के कुशल निर्देशन व श्री ब्रह्मा गौड, प्रभारी निरीक्षक ढेबरुआ के नेतृत्व में दिनांक 20.09.2021 को थाना ढेबरुआ पुलिस टीम व SSB टीम सिद्धार्थनगर द्वारा दो अभियुक्तों के पास से 81.6 ग्राम अवैध मार्फिन के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामद मार्फिन की अन्तराष्ट्रीय बाजार में मूल्य लगभग 30 लाख है। जिसके संबंध में मु0अ0सं0 190/21, 191/21, धारा 8/22/23 एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-

1. रामकिशन सोनकर पुत्र गुरु चरण निवासी झंडेनगर वार्ड नं 12 थाना कृष्णानगर जनपद कपिलवस्तु नेपाल
2. विवेक चतुर्वेदी पुत्र प्रदीप चतुर्वेदी निवासी कल्लनडिहवा वार्ड नं 07 कस्बा बढनी थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थ नगर

बरामदगी का विवरण-

81.06 ग्राम मार्फिन अभियुक्तो के कब्जे से बरामद किया गया। जिसकी अन्तराष्ट्रीय बाजार मे मूल्य 30 लाख है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरणः-

01. प्र0नि0 श्री ब्रह्मा गौड थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर
02. उ0नि0 श्री शिवदास गौतम यादव थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर
03. हे0 का0 चंद्रकेश थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर
04. का0 रवि मौर्य थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर
05. SSB प्र0 नि0 जगदीश प्रसाद व SSB मय टीम

प्रेस नोट दिनाँकः- 20.09.2021 जनपद सिद्धार्थनगर

“मिशन शक्ति फेज - 3” के अंतर्गत जनपद सिद्धार्थनगर में महिला आरक्षी द्वारा विभिन्न थानाक्षेत्रों में पहुँचकर महिलाओं को एकत्र कर घरेलू हिंसा/दहेज उत्पीड़न/राज्य द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूक किया गया।

आज दिनांक 20-09-2021 को “मिशन शक्ति फेज -3” के अंतर्गत जनपद सिद्धार्थनगर में महिला आरक्षियों द्वारा बीट/स्कूलों में पहुंचकर बालिका/महिलाओं को दहेज अधिनियम, घरेलू हिंसा तथा राज्य द्वारा चलायी जा रही महिलाओं/बालिकाओं से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं के विषय में जागरूक किया गया। प्रदेश सरकार द्वारा बालिकाओं/महिलाओं की सुरक्षा एवं सहायता हेतु संचालित विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों 1090 वूमेन पावर लाइन, 181 महिला हेल्पलाइन, 108 एंबुलेंस सेवा, 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112 पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098 चाइल्ड लाइन, 102 स्वास्थ्य सेवा आदि के बारे में भी जागरुक किया गया तथा प्रत्येक थाने पर महिला शिकायतकर्ता के लिए स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई जहां पर कोई भी महिला/बालिका निर्भीक होकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है।

प्रेस नोट दिनाँकः- 20.09.2021 जनपद सिद्धार्थनगर

जिला जज सिद्धार्थनगर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर, व पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा संयुक्त रूप से जिला कारागार सिद्धार्थनगर का आकस्मिक निरीक्षण कर कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु जेल में की गई तैयारियों का जायजा लिया गया।

आज दिनांक 20.09.2021 को श्री प्रमोद कुमार शर्मा, जिला जज जनपद सिद्धार्थनगर, श्री शैलेष कुमार मौर्या, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद सिद्धार्थनगर, श्री दीपक मीणा, जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर, व डा0 यशवीर सिंह, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा संयुक्त रूप से जिला कारागार सिद्धार्थनगर का आकस्मिक निरीक्षण कर कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु जेल में की गई तैयारियों का जायजा लिया गया। इस दौरान सभी बैरकों तथा बन्दियों का गहन निरीक्षण किया गया। जेल अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा बताया गया कि नियमित रूप से उनके व जेल स्टाफ द्वारा जेल की चेकिंग की जाती है। जिला कारागार सिद्धार्थनगर मे निरीक्षण के समय सभी व्यवस्थाएं सन्तोषजनक पायी गयी। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जिला कारागार अधीक्षक को निर्देशित किया गया कि नियमित रूप से कारागार का निरीक्षण करते रहे व निरूद्ध बन्दियों पर विशेष सतर्क दृष्टि रखे एवं आवश्यकतानुसार समय-समय पर कारागार मे निरूद्ध बन्दियों की गतिविधियों के सम्बन्ध मे जानकारी देते रहें।

प्रेस नोट दिनाँकः- 20.09.2021 जनपद सिद्धार्थनगर

"20 लीटर कच्ची शराब के साथ एक व्यक्ति को थाना उसका बाजार पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर मु.अ.सं. 166, 167/2021 धारा 60(1) EX एक्ट पंजीकृत किया गया।

डा0 यशवीर सिंह, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियो के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर श्री सुरेश चंद्र रावत के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर श्री प्रदीप कुमार यादव एवं प्रभारी निरीक्षक श्री अजय कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 19.09.2021 को रोकथाम अवैध शराब निष्कर्षण अभियान के दौरान एक व्यक्ति राधेश्याम पुत्र नरायन निवासी अमरिया थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर को 20 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया तथा इंद्रजीत उर्फ वंडाहे पुत्र संतराम निवासी अमरिया थाना उसका बाजार सिद्धार्थनगर के विरुद्ध क्रमशः मु.अ.सं. 166, 167/2021 धारा 60(1) EX एक्ट पंजीकृत किया गया।

बरामदगी व गिरफ्तारी करने वाली टीम-

01- आबकारी नि. श्री मुकेश कुमार शर्मा क्षेत्र प्रथम जनपद सिद्धार्थनगर।
2. व.उ.नि. श्री पारसनाथ सिंह थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर।
3. हे.का.शम्भू यादव थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर।
4. हे.का.रविन्द्र प्रसाद निषाद थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर।
5. हे.का. राकेश यादव थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर।

प्रेस नोट दिनांक 20.09.2021

यातायात नियमों का उल्लंघन कर फर्राटा भरने वाले वाहनों/व्यक्तियों का ई-चालान व सीज करने की कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा समस्त क्षेत्राधिकारी/प्रभारी यातायात पुलिस/प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है, इसी क्रम में आज दिनांक:-20-09-2021 को प्रभारी यातायात पुलिस श्री अमरेश कुमार मय टीम द्वारा प्रेशर हार्न, मानक के विपरीत साइलेंसर लगाकर चलने वाले वाहन (बुलेट) एवं तीन सवारी के विरुद्ध अभियान चलाकर जनपदीय पुलिस एवं यातायात पुलिस बल द्वारा एम0वी0 एक्ट के अंतर्गत 694 वाहनों को चेक किया गया तथा कुल 155 वाहनों का चालान व 01 वाहन सीज कर ₹ 1,77,500 /-शमन शुल्क वसूल किया गया व अन्य चौराहो एवं अन्य स्थानों पर वाहन चालकों को यातायात नियमों की के बारे में जागरुकता प्रदान की गई।

प्रेस नोट दिनांक 20.09.2021

थाना बांसी पुलिस द्वारा पाक्सो एक्ट के वांछित अभियुक्त को 24 घण्टे के अन्दर गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

डॉ0 यशवीर सिंह, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में "अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान" के अन्तर्गत श्री सुरेश चन्द रावत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में श्री अरुण चंद, पुलिस उपाधीक्षक बांसी के कुशल निर्देशन में अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बांसी जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा कृत कार्यवाही-

आज दिनांक 20.09.2021 को श्री छत्रपाल सिंह, प्रभारी निरीक्षक बांसी के नेतृत्व में उ.नि. चंद्रशेखर पाण्डेय मय टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 230/2021 धारा 354ख भादवि0 व 9/10 पोक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त को 24 घण्टे के अन्दर मंगलबाजार कस्बा बांसी से समय करीब 07.10 बजे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय/जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

समीर अहमद पुत्र वजीर अहमद साकिन मोहल्ला गौतम बुद्ध नगर थाना कोतवाली बांसी जनपद सिद्धार्थनगर

गिरफ्तार करने वाली टीम –

1.उ0नि0 चंद्रशेखर पाण्डेय थाना कोतवाली बांसी जनपद सिद्धार्थनगर।

2. कांस्टेबल अखिलेश यादव थाना कोतवाली बांसी जनपद सिद्धार्थनगर।

3.कांस्टेबल विष्णु यादव थाना कोतवाली बांसी जनपद सिद्धार्थनगर।